

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक—कम्प्यूटर—२५६

/2015–16/ दिनांक लखनऊ

०१-१०-

सितम्बर, 2015

समस्त जिला कृषि अधिकारी/
समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज दिनांक 29.09.2015 को रबी बीजों के अनुदान को आनलाइन DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में रथानान्तरित करने के सम्बन्ध में सम्पन्न हुयी वीडियो कान्फ़ेसिंग में कठिपय अधिकारियों की यह जिज्ञासा थी कि यदि किसान पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत आनलाइन पंजीकृत नहीं है और पूरे मूल्य पर बिना अनुदान के बीज क्य करना चाहता है तो उसे बीज की बिक्री की जाय या नहीं।

उपर्युक्त जिज्ञासा के क्रम में अवगत कराना है कि किसी भी किसान को कृषि विभाग द्वारा बीज का वितरण उसे आनलाइन पंजीकृत करने के उपरान्त ही किया जायेगा। चाहे वितरित किये जाने वाला बीज अनुदानित हो या गैर अनुदानित। यदि किसान पूरे मूल्य पर बीज चाहता है और पारदर्शी किसान सेवा योजना में आनलाइन पंजीकृत नहीं है तो पहले उसका पंजीकरण करें, तदोपरान्त ही उसे बीज का वितरण करें, ताकि बीज वितरण में पूर्ण पारदर्शिता कायम रहे।

30.9.15

(आदेश कुमार बिश्नोई)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—कम्प्यूटर—

/लखनऊ/2015–16/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र०।
2. अपर कृषि निदेशक(बीज एंव प्रक्षेत्र), उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-३, सचिवालय, लखनऊ।

(आदेश कुमार बिश्नोई)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक—कम्प्यूटर—

/2015–16/ दिनांक लखनऊ

०१-१०-

सितम्बर, 2015

समस्त जिला कृषि अधिकारी/
समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज दिनांक 29.09.2015 को रबी बीजों के अनुदान को आनलाइन DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में रथानान्तरित करने के सम्बन्ध में सम्पन्न हुयी वीडियो कान्फ्रैंसिंग में कतिपय अधिकारियों की यह जिज्ञासा थी कि यदि किसान पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत आनलाइन पंजीकृत नहीं है और पूरे मूल्य पर बिना अनुदान के बीज क्रय करना चाहता है तो उसे बीज की बिक्री की जाय या नहीं।

उपर्युक्त जिज्ञासा के क्रम में अवगत कराना है कि किसी भी किसान को कृषि विभाग द्वारा बीज का वितरण उसे आनलाइन पंजीकृत करने के उपरान्त ही किया जायेगा। चाहे वितरित किये जाने वाला बीज अनुदानित हो या गैर अनुदानित। यदि किसान पूरे मूल्य पर बीज चाहता है और पारदर्शी किसान सेवा योजना में आनलाइन पंजीकृत नहीं है तो पहले उसका पंजीकरण करें, तदोपरान्त ही उसे बीज का वितरण करें, ताकि बीज वितरण में पूर्ण पारदर्शिता कायम रहे।

(आदेश कुमार बिश्नोई)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—कम्प्यूटर—२५६ /लखनऊ/ 2015–16/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ 1. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र०।

2. अपर कृषि निदेशक(बीज एवं प्रक्षेत्र), उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।

3. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-३, सचिवालय, लखनऊ।

30.९.१५—

(आदेश कुमार बिश्नोई)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।